बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 205985 पटना, दिनांक 21.10.14

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(Mon.)-102-30/2013

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी उप विकास आयुक्त,
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी ।

विषय :- इंदिरा आवास योजनान्तर्गत संविदा आधारित नियोजित कार्मिकों को मानदेय का भुगतान एवं देय सुविधाओं के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि सभी जिलों में इंदिरा आवास योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं प्रबंधन के निमित्त ग्रामीण आवास सहायक, ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक एवं लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) का संविदा आधारित नियोजन किया गया है । विभागीय संकल्प संख्या-165209 दिनांक-03.10.13 द्वारा इन नियोजित कर्मियों के मानदेय, दायित्वों एवं अन्य शर्तों का निर्धारण कर संसूचित किया जा चुका है । इन नियोजित कार्मिकों के द्वारा प्रतिभूति की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में मानदेय का भुगतान करने, मानदेय भुगतान की प्रभावी तिथि, मोबाईल एवं साईंकिल की सुविधा प्रदान करने, उपस्थिति दर्ज करने, अवकाश आदि के संबंध में जिलों/नियोजित कर्मियों द्वारा विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा की जा रही है । इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिये जा रहे हैं :-

(1) **<u>प्रतिभूति की राशि जमा नहीं किये जाने की स्थिति में मानदेय का भुगतान</u>** :- प्रतिभूति की राशि नियोजित कार्मिकों द्वारा एकरारनामा के साथ ही जमा किया जाना था । सम्प्रति इन्हें मोबाईल एवं साईंकिल की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जा सकी है, अतएव प्रतिभूति की राशि जमा नहीं किये जाने के कारण मानदेय का भुगतान रोका जाना उचित नहीं होगा । प्रतिभूति की राशि जमा किये जाने के प्रावधान को विलोपित किये जाने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, अत: ग्रामीण आवास कर्मियों को बिना प्रतिभूति की राशि जमा किये भी मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाय ।

(2) **<u>मानदेय भुगतान की प्रभावी तिथि</u>** :- नियोजित कार्मिकों को नियोजन पत्र में योगदान करने के लिए विर्निदिष्ट स्थान पर दिये गये योगदान की तिथि से मानदेय का भुगतान देय होगा बशर्ते कि उनके द्वारा एकरारनामा किया गया हो ।

(3) **<u>मोबाईल एवं साईकिल की सुविधा</u>** :- ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों को android Based Mobile Phone उपलब्ध कराने के संबंध में विभाग द्वारा अलग से दिशा निर्देश निर्गत किये जायेंगे । ग्रामीण आवास सहायकों को साईकिल (अधिकतम ₹ 2,500 की लागत से) की सुविधा दी जानी है । उक्त प्रावधान के तहत पूर्व में जिन ग्रामीण आवास सहायकों के द्वारा साईकिल क्रय कर उसका रसीद प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पास जमा किया गया है, उनके बैंक खाता में ₹ 2,500 की राशि इंदिरा आवास की प्रशासनिक मद से हस्तांतरित कर दी जाय । बचे हुए ग्रामीण आवास सहायक के खाते में ₹ 2,500 की राशि हस्तांतरित कर दी जाय जिससे एक माह के अंदर साईकिल क्रय कर वे अभिश्रव लेखा सहायक को उपलब्ध करायेंगे । एक माह के अंदर साईकिल क्रय कर अभिश्रव उपलब्ध नहीं करवाने वाले ग्रामीण आवास सहायक से 18% की दर से सूद की वसूली की जायेगी तथा छः माह के पश्चात पूरी राशि (₹ 2,500) सूद सहित वसूल कर ली जायेगी ।

(4) **<u>उपस्थिति दर्ज करने</u>** :- ग्रामीण आवास सहायक का पदस्थापन ग्राम पंचायत स्तर पर किया गया है और इन्हें सीधे प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करना है तथा प्रतिदिन ग्राम पंचायत से प्रखण्ड मुख्यालय आकर उपस्थिति दर्ज करना व्यवहारिक नहीं होगा अतएव ग्रामीण आवास सहायक स्वयं अपने स्तर से उपस्थिति विवरणी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को भेजेंगे ।

लेखा सहायक (ग्रामीण आवास) को प्रखण्ड मुख्यालय में इंदिरा आवास से संबंधित योजनाओं का लेखा संधारण, अंकेक्षण का दायित्व दिया गया है, अतएव इनकी उपस्थिति पंजी का संधारण प्रखण्ड मुख्यालय में होगा ।

(5) **<u>साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन</u>** :- ग्रामीण आवास सहायक प्रत्येक सप्ताह उनके द्वारा किये गये कार्यों के संबंध में साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे । प्रखण्ड में साप्ताहिक बैठक के दौरान प्रत्येक ग्रामीण आवास सहायक के प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा । ग्रामीण आवास सहायक के कार्यों का मूल्यांकन, उनके द्वारा समर्पित प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर होगा ।

ग्रामीण आवास सहायक के द्वारा समर्पित साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन के आधार पर उसके बाद वाले सप्ताह में प्रत्येक पंचायत के कम-से-कम 5% कार्यों का स्थल निरीक्षण कर ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक अपनी समीक्षात्मक प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अवलोकनार्थ भेजेंगे । इसके अलावे ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक स्वतंत्र रूप से भी इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन अन्य आवास इकाईयों का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अवलोकनार्थ समर्पित करेंगे ।

(6) **<u>अवकाश</u>** :- बिहार सरकार, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या-2401 दिनांक-18.07.07 में निहित व्यवस्था के आलोक में संविदा आधारित कार्मिकों को पूरे कैलेण्डर वर्ष में 12 दिन का आकस्मिक अवकाश अनुमान्य होगा । मनरेगा कर्मियों की तरह ग्रामीण आवास कर्मियों को भी एक कैलेण्डर वर्ष में 24 दिनों का अर्जित अवकाश (चिकित्सीय अवकाश सहित) देय होगा । यह अर्जित अवकाश उसी कैलेण्डर अवकाश में उपभोग किया जा सकेगा अर्थात कैलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर अर्जित अवकाश समाप्त हो जायेगा तथा अगले वर्ष यह Carry Forward नहीं होगा ।

(7) **<u>अनुबंध रद्द किया जाना</u>** :- ऐसे दृष्टांत आ सकते हैं जहॉ कर्तव्यहीनता एवं अन्य न्यायसंगत आधार पर ग्रामीण आवास कर्मियों के अनुबंध को रद्द करने की आवश्यकता महसूस हो ।

इस संबंध में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी की अनुशंसा तथा उप विकास आयुक्त की समीक्षोपरान्त प्राप्त आरोप पत्र के आधार पर आरोपित पक्ष की सुनवाई के पश्चात जिला पदाधिकारी के द्वारा युक्तियुक्त आदेश पारित किया जायेगा । इस तरह से पारित अनुबंध रद्द आदेश के विरूद्ध अपील विभागीय सचिव/प्रधान सचिव के समक्ष अनुबंध रद्द आदेश पारित किये जाने की तिथि के तीन माह के अंदर किया जा सकेगा ।

विभागीय संकल्प संख्या-165209 दिनांक-03.10.13 में प्रावधानित है कि इंदिरा आवास योजना के प्रशासनिक व्यय हेतु उपलब्ध राशि से नियोजित कार्मिकों का मानदेय, मोबाईल, साईकिल आदि के व्यय का वहन किया जायेगा, अतएव उक्त प्रावधान के आलोक में संविदा आधारित नियोजित कार्मिकों के मानदेय आदि के भुगतान के संबंध में कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
21/10/14

ज्ञापांक 205985 पटना, दिनांक 21.10.14

प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
21/10/14

ज्ञापांक 205985 पटना, दिनांक 21.10.14

प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि- आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव
21/10/14